#2469 P 001

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ

बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ
फैक्स नं0 0522–2206174, 0522–2206120, फोन नं0– 0522–2208371

पत्र संख्याः डीजी–परिपत्र संख्या–19/2012 दिनांकः लखनऊ, जून , 2012

1. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

21 JUN 2012

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम–2005–कार्य योजना।

कृपया इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या 19/2012, दिनांक 10, अप्रैल 2012 द्वारा अधिनियम के क्रियान्वियन हेतु कार्ययोजना प्रेषित की गई थी, जिसमें कतिपय कठिनाइयों, अन्य सुझावों को समायोजित करते हुये उक्त परिपत्र को अतिक्रमित करते हुये निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैः–

I- दायित्व निर्धारणः–

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अनुपालन में एवं राज्य सूचना आयोग के निर्देशानुसार जनपद स्तर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्तर पर जो जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी बनाये गये है, उनका दायित्व निर्धारण संलग्नक–1 में दिया गया है।

2) इसी प्रकार सी0बी0सी0बाई0डी0, ई0ओ0डब्ल्यू0, तकनीकी सेवाएं, भ्र0नि0सं0, विशेष जाच प्रकोष्ठ, प्रशिक्षण, फायर सर्विस, जीआरपी, पुलिस आवास निगम, एस0आई0टी0, विशेष सुरक्षा वाहिनी, निदेशक, यातायात एवं उ0प्र0 पुलिस रेडियो शाखा हेतु जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी अपने स्तर से नियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

II- प्रचार–प्रसारः–

(1) जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों के नाम एवं पदनाम को सूचना पटों पर लगाया जाए। तकनीकी सेवायें, जवाहर भवन, लखनऊ इस सूची को उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर डालकर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

(2) अपेक्षित है कि जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय। प्रचार–प्रसार इस प्रकार से होना चाहिए कि यह आम लोगों तक आसानी से पहुँच जाए तथा कौन सी सूचना जनपद स्तर से अथवा कौन सी मुख्यालय स्तर से प्राप्त होगी, की जानकारी भी उन्हें प्राप्त हो जाए। जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 का प्रचार–प्रसार नोटिस बोर्डो, समाचार पत्रों, लोक उद्‌घोषणाओं, मीडिया प्रसारण, इण्टरनेट अथवा किसी से भी किया जा सकता है। सूचना का अधिकार का प्रचार प्रसार करते समय लागत प्रभावकारिता स्थानीय भाषा और सम्प्रेषण के प्रभावी तरीकों का ध्यान रखना चाहिए।

(3) इस मुख्यालय से निर्गत अशा0 परिपत्र संख्या–डीजी 33/2011, दिनांक 25.10.2011 एवं अशा0 पत्रांक डीजी–4–110(911)/2011, दिनांक 01.11.2011 में विभागीय कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु निर्धारित समयावधि में ही आवेदक द्वारा जनसूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना मांगी जाती है, अतः परिपत्र में निर्धारित समयावधि का पालन किया जाय।

(4) इस मुख्यालय द्वारा निर्गत अशा0 परिपत्र संख्या डीजी–35/2011, दिनांक 03.11.2011 सिटीजन चार्टर, जिसमें जनता की सेवाओं हेतु समयावधि निर्धारित की गई है, के निमित्त यदि आवेदक जनसूचना अधिकार के अन्तर्गत आवेदन करता है तो निर्धारित समयावधि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) यदि आवेदक किसी सूचना के निमित्त आवेदन करता है तो सम्बन्धित लोकप्राधिकारी को नकद/डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा रूपये 10/– का आवेदन शुल्क संलग्न करना होगा। यदि आवेदक गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के सदस्य होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो उसे इस शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।

III- समीक्षाः-

(1) सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मामलों का निस्तारण,अपीलों का निस्तारण एवं राज्य सूचना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा प्रत्येक 06 माह में की जाए। माह जनवरी से जून की समीक्षा 15 जुलाई तक एवं जुलाई से दिसम्बर की समीक्षा 15 जनवरी तक सुनिश्चित की जाए। शाखाओं में इसी प्रकार उपरोक्त अवधि में शाखा से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा कर सूचना इस मुख्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। यह समीक्षा जोनल स्तर पर होगी। अतः जोनल पुलिस महानिरीक्षक अपने जोन से संबंधित सूचनाओं पर समीक्षोपरान्त संलग्न प्रारूप में सूचना मुख्यालय को प्रेषित करेंगें।

IV- सूचना प्रदत्त किये जाने का माध्यमः-

(1) सूचना मांगने वाले आवेदक यदि कार्यालय में उपस्थित होते हैं तो उनके साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र तैयार करने अथवा शुल्क किस प्रकार जमा होना है, इस सम्बन्ध में आवेदक को सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(2) जनसूचना से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना आवेदक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी। यह भी संज्ञान में आया है कि जन सूचना अधिकार संबंधी सूचनाए कई जनपदों द्वारा थाने के माध्यम से कर्मचारीगणों द्वारा बजात खास प्राप्त कराया जा रहा है जो कदापि उचित नहीं है। अतः किसी भी परिस्थिति में सूचना कर्मचारी के माध्यम से न भेजी जाये अपितु रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाये।

(3) Sec. 6(3) transfer of application.
यदि सूचना का श्रोत अन्य जन सूचना अधिकारी से हो तो सूचना मंगाकर नहीं देनी है, बल्कि मूल आवेदन को अन्तरित करना है। ध्यान रखा जाय कि ऐसे अन्तरण (Transfer) 5 दिवस के अन्दर किये जाए। यदि किसी आवेदक का प्रार्थना पत्र उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के अर्न्तगत अन्तरित किया जाता है तो आवेदक द्वारा जमा की गयी धनराशि के बारे में उल्लेख हो ताकि जहाँ प्रार्थना पत्र अन्तरित किया गया हो वहाँ पुनः शुल्क देने की आवश्यकता न हो।

V- अन्य महत्वपूर्ण निर्देशः-

(1) यह भी देखने में आया है कि कतिपय अपीलीय अधिकारी अपील निस्तारित करते समय पक्षकारों, जनसूचना अधिकारियों को तलब कर जिरह/बहस करा रहें है, जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अपीलीय अधिकारी को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों, जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय को जनसूचना अधिकार अधिनियम तथा अधिनियम से सम्बन्धित शासनादेश व प्रावधानों के आलोक में निर्णय लेना चाहिए। सूचना देय है अथवा नहीं, सूचना निर्धारित समय में दी गई अथवा नही जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी अपना निर्णय देंगे।

(2) अधिनियम में प्रत्येक कार्यवाही हेतु समय निर्धारित है एवं समयसीमा के अन्दर कार्यवाही जनसूचना अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य भी है, ऐसे में निर्धारित समयसीमा के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए अन्यथा वह अधिकारी अधिनियम में निहित दण्ड प्रावधानों का भागीदार होगा। अतः समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाय।

(3) हाल ही में कुछ ऐसे दृष्टांत भी प्रकाश में आये है जिनमें जनसूचना अधिकार के अर्न्तगत प्राप्त आवेदन पर भी शिकायती प्रार्थना पत्रों की भांति जांच कराकर कार्यवाही की जाती है । यहाँ यह स्पष्ट किया जाना प्रासंगिक होगा कि अधिनियम के अर्न्तगत जांच नहीं की जानी है, अपितु जो सूचना/अभिलेख पहले से कार्यालय/इकाई /शाखा में उपलब्ध है उसे प्रदान करने सम्बन्धी विषय पर निर्णय कर आवेदक को लिखित रूप से सूचित करना है।

(4) जनसूचना अधिकार अधिनियम सम्बन्धी पत्रावलियों व अभिलेखों के रखरखाव में परिलक्षित समस्याओं को ध्यान में रखते हुये यह भी निर्णय लिया गया है कि जनसूचना अधिकार सम्बन्धी समस्त अभिलेखों को कालान्तर में डिजिटल रूप में रखा जायेगा। इस निमित्त उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद जनपदों/इकाइयों/शाखाओं में

डाक्यूमेन्ट स्केनर व डाक्यूमेन्ट मैनेजमेण्ट साफ्टवेयर की उपलब्धता का आंकलन कर अतिरिक्त आवश्यकता हेतु उपयुक्त मदों मे शासन से धनराशि स्वीकृति कराये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी। अधिनियम की धारा 6(3) के अर्न्तगत ऐसी पत्रावलियों जिनका सम्बन्ध अन्य जनपद/इकाई /शाखा के जनसूचना अधिकारी को सूचना दिये जाने हेतु अन्तरित कर दिया गया है एवं कोई वाद मा0 राज्य सूचना आयोग में लम्बित न हो, एवं अपेक्षित सूचना आवेदक को प्रदान की जा चुकी है, को 06 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त बीड आउट किया जाय।

(5) उ0प्र0 सरकार के पत्र सं0 82आर.आई./छ:पु.–4–2006, दिनांकित 10 जुलाई, 2005 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अधीन अभिसूचना शाखा, सुरक्षा शाखा, विशेष कार्य बल एवं प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस शाखाओं तथा उनसे सम्बद्व इकाईयों को उक्त अधिनियम की परिधि से अपवर्जित किया गया है। अग्रेतर महामहिम श्री राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि यह अधिसूचना भ्रष्टाचार के अभिकथनों तथा मानवाधिकार के उल्लंघन सम्बन्धी प्रकरणों में लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 सरकार के सतर्कता विभाग तथा उसके संगठन अर्थात उ0प्र0 सर्तकता अधिष्ठान पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्ध लागू न होने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त सर्तकता विभाग द्वारा अधिसूचना सं0--2339/39 –4–2010--21/2005, दिनांकित 22 सितम्बर, 2010 निर्गत की गई है।

(6) राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 द्वारा जनसूचना अधिकार सम्बन्धी मामलों में व्यक्तिगत रूप से तलब किये जाने पर जनसूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित प्रकरण के समस्त अभिलेख सहित नियत तिथि में मा0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चत करेंगे।

20/6/12
(ए0सी0 शर्मा)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, भ0नि0सं0, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, ई0ओ0डब्ल्यू0, तकनीकी सेवाएं, विशेष जांच प्रकोष्ठ, प्रशिक्षण, फायर सर्विस, जीआरपी, पुलिस आवास निगम, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद, एस0आई0टी0, विशेष सुरक्षा वाहिनी, निदेशक, यातायात, रूल्स एण्ड मैनुअल एवं उ0प्र0 पुलिस रेडियो।

Zone